**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1238**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**महिलाओं एवं बच्चों का दुर्व्यापार**

**1238. डा. प्रभा ठाकुर:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या कठोर कानूनों के बावजूद 'अपराधी गिरोहों' द्वारा लड़कियों एवं बच्चों का अपहरण करके उन्हें खाड़ी देशों में बेचे जाने जैसे जघन्य अपराध लगातार जारी हैं;

(ख) : क्या ऐसी वारदातों में वृध्दि हुईं है या कमी आई है और गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) : क्या पुलिस की जवाबदेही, कठोर कानून एवं समयबध्द न्याय प्रक्रिया होने से किशोर एवं युवा लड़के-लड़कियों के शोषण के ऐसे अमानवीय अपराध समाप्त नहीं हो सकते हैं;

(घ) : क्या ऐसे मामलों में पुलिस की कोई जवाबदेही निश्चित की गई है; और

(ङ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) और (ख) : राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) खाड़ी देशों को बालिकाओं और बच्‍चों के दुर्व्‍यापार के संबंध में केंद्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखता है । राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 और 2012 की अवधि के दौरान मानव दुर्व्‍यापार के जनरिक विवरण के अंतर्गत आने वाले कानून के विभिन्‍न प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए कुल मामलों की संख्‍या क्रमश: 3517 और 3554 थी । राज्‍य और संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा** अनुलग्‍नक **में दिया गया है ।**

**(ग) से (ड.) : मानव दुर्व्‍यापार की समस्‍या से निपटने के प्रयोजन से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निम्‍नलिखित महत्‍वपूर्ण उपाय किए हैं :**

(i) **विभिन्‍न निर्णयों तथा राज्‍य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई पर अनुवर्तन को संप्रेषित करने के लिए एक फोकल प्‍वाइंट के रूप में कार्य करने के लिए इस मंत्रालय में मानव दुर्व्‍यापार रोधी नोडल प्रकोष्‍ठ की स्‍थापना की गई । यह सूचना के मिलान और प्रसार में अन्‍य मंत्रालयों और राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) के साथ संपर्क स्‍थापित करता है।**

(ii) मानव दुर्व्‍यापार के अपराध का निवारण करने और इससे निपटने के लिए सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को विस्‍तृत परामर्शी पत्र जारी किए गए हैं । प्रोटोकॉल और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के बारे में संसाधन प्रस्‍तकें तैयार की गई हैं ।

(iii) मानव दुर्व्‍यापार रोधी यूनिट स्‍थापित करने तथा पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्‍य से एक व्‍यापक स्‍कीम ‘प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्‍यम से मानव दुर्व्‍यापार के विरूद्ध भारत में विधि प्रवर्तन कार्रवाई का सुदृढ़ीकरण’ संस्‍वीकृत की गई है ।

(iv) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्‍यूरो (बीपीआर एण्‍ड डी) ने पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल ‘मानव दुर्व्‍यापार- जांचकर्ताओं के लिए एक हैंड बुक’ तैयार की है और ये हैंडबुक राष्‍ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्‍य पुलिस प्रशिक्षण संस्‍थानों में प्रयुक्‍त किए जा रहे हैं ।

(v) पूरे देश में न्‍यायिक सहयोग की व्‍यवस्‍था हो रही है ।

\*\*\*\*\*